कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027
(GST No-8JDHD02558D1DW)

क्रमांक :–स्था. / निविदा सूचना सं. ....02..... / 2024–25 दिनांक :– 21/5/2024

खुली बोली निविदा सूचना

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर तथा कार्यालय से संबंधित विभिन्न शाखाओं के कार्यालय उपयोग हेतु सामान्य स्टेशनरी सामग्री का क्रय सीमित निविदा के माध्यम से दर अनुबंध पर उपापन किये जाने के लिए **GST** पंजीकृत बोलीदाताओं से मुहरबंद बोली निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि रू.	बोली प्रतिभूति राशि रू (2 प्रतिशत).	बोली प्रपत्र शुल्क रू.	बोली प्रपत्र विक्रय प्रारंभ की तिथि एवं विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि एवं समय	बोली खोलने की तिथि एवं समय
1	सामान्य स्टेशनरी	4.29 लाख (अनुमानित)	8580 / –	500 / –	23–05–2024 से 03–06–2024 तक 12:00 पी.एम.	03–06–2024 12:00 पी.एम. तक	03–06–2024 12:30 पी.एम

निविदा प्रपत्र दिनांक 23.05.2024 से दिनांक 03.06.2024 तक बेची जाएगी। विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज वेबसाईट "https://sppp.rajasthan.gov.in" व "https://districts.ecourts.gov.in/ajmer" पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
(स्टेशनरी क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या –5, अजमेर

क्रमांक :–स्था. / 2024–25/15153 – 15158 दिनांक :– 21/5/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर
2. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय / कोषालय / नगर परिषद / सूचना केन्द्र नोटिस बोर्ड, अजमेर
3. सहा. प्रोग्रामर, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि बोली को विभागीय वेबसाईट एवं एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष
(स्टेशनरी क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या –5, अजमेर

कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

सामान्य स्टेशनरी विस्तृत खुली बोली निविदा सूचना ..../2024–25

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर तथा कार्यालय से संबंधित विभिन्न शाखाओं के कार्यालय उपयोग हेतु सामान्य स्टेशनरी सामग्री हेतु खुली बोली निविदा के माध्यम से दर अनुबंध पर उपापन किये जाने के लिए में पंजीकृत बोलीदाताओं से मुहरबंद **तकनीकी एवं वित्तीय बोली पृथक–पृथक लिफाफों में** निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि रू.	बोली प्रतिभूति राशि रू.	बोली प्रपत्र शुल्क रू.	**बोली प्रपत्र** विक्रय प्रारंभ की तिथि एवं प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	~~बोली~~ प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि एवं समय	बोली खोलने की तिथि एवं समय
1	सामान्य स्टेशनरी	4.29 लाख (अनुमानित)	8580/–	500/–	23–05–2024 से 03–06–2024 तक 12:00 पी.एम.	03–06–2024 12:00 पी.एम. तक	03–06–2024 12:30 पी.एम

1. सीमित निविदा सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट "https://districts.ecourts.gov.in/ajmer" व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल "https://sppp.rajasthan.gov.in" पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र कैशियर, जिला न्यायालय, अजमेर को नगद शुल्क 500/– जमा कराकर अथवा ऑनलाईन फार्म डाउनलोड किए जाने की स्थिति में बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "**DISTRICT AND SESSION COURT, AJMER**" के पक्ष में बनाना होगा तथा तकनीकी–वित्तीय बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. ऑफलाईन निविदा प्राप्त किए जाने हेतु बोली प्रपत्र शुल्क कैशियर जिला न्यायालय, अजमेर के पास जमा करवाकर कार्यालय समय में दिनांक 23.05.2024 से 03–06–2024 तक दोपहर 12:00 पी.एम. बजे तक प्राप्त किये जाऐंगे।
4. तकनीकी बोली दिनांक 03–06–2024 को 12:30 पी.एम. बजे तक अध्यक्ष (स्टेशनरी क्रय समिति), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या –5, अजमेर के अवकाशागार में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाऐगी एवं तकनीकि बोली में सफल निविदादाता की वित्तीय बोली अगले दिवस खोली जाएगी।
5. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

अध्यक्ष
(स्टेशनरी क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या –5, अजमेर

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता / संवेदक का नाम ....

2. डाक का पता ....

....

3. फोन / मोबाईल नं. ....

4. ई–मेल ....

5. बैंक का नाम ....

IFSC Code ....

खाता संख्या ....

6. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :–

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
2.	आयकर (पैन नं.)				

7. बोलीदाता / संवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड विवरण पत्र / बैलेंस शीट की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करवाना आवश्यक है।

8. बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क नगद कैशियर जिला न्यायालय, अजमेर के पास जमा कराना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक द्वारा शुल्क जमा कराए जाने की स्थिति में ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक "**DISTRICT AND SESSION COURT, AJMER**" के पक्ष में बनाना होगा जिसका साक्ष्य तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

9. मैं / हम जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर द्वारी जारी की गई में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न **बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार** करते हैं।

10. तकनीकी तथा वित्तीय बोली अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद होगी जिस पर "तकनीकी बोली प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र" लिखा होगा। वित्तीय बोली प्रपत्र को छोड़कर शेष समस्त बोली दस्तावेज मय बोलीदाता के हस्ताक्षर तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ उक्त लिफाफे में मुहरबंद होगी।

11. तकनीकी बोली में क्वालिफाईड / सफल बोलीदाता / संवेदक की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

12. निविदा वित्तीय वर्ष 2024–25 तक की अवधि के लिए मान्य होगी।

अध्यक्ष
(स्टेशनरी क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या –5, अजमेर

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

बोली की सामान्य शर्तें

निविदा–दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटाऐं।

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही अधिभावी होंगे।
2. तकनीकी–वित्तीय बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में सामान्य स्टेशनरी आईटम्स उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
3. निविदाऐं मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी है।
4. **क्रय समिति द्वारा सामग्री का क्रय आवश्यकतानुसार तथा समय–समय पर जारी क्रयादेश के आधार पर क्रय किया जाएगा। जिन फर्मों की निविदा स्वीकार की जाएगी, उन्हें मांग के अनुसार आईटम्स की सप्लाई कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर करनी होगी। माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा कार्यालय को होने वाली वित्तीय क्षति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।**
5. निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
6. निविदा प्रपत्र सही से भरा होना चाहिए तथा दरें शब्दों एवं अंकों, दोनो में बिना कांट–छांट स्पष्ट रूप में अंकित की जानी चाहिए। शब्दों एवं अंकों में राशि में अंतर होने पर शब्दो में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
7. दरें गन्तव्य स्थान जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर तथा एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए। जिसमें सभी कर एवं लागतें समाहित होनी चाहिये। संविदा की अवधि में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा करों में कमीं अथवा वृद्धि की जाती है, तो दोनों पक्षों को मान्य होगी।
8. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के आईटम्स की सप्लाई के कार्य को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगो। (सबलेट नहीं करेगा)
9. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण देना होगा।
10. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
11. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
12. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
13. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे **5 प्रतिशत सिक्यूरिटी** नगंद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो **जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर** के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी। जमा राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के समय जमा कराई गई अमानत/बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कराई जा सकेगी।
14. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता है, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता है या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
15. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।

16. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।

17. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर शास्ति (लिक्वीडिट डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी :–

अ) विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।

ब) विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पाँच प्रतिशत।

स) विदित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए क्रयादेश का साढ़े सात प्रतिशत।

द) विदित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत।

18. प्रावधान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं शास्ति की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी।

19. क्रय समिति को निविदा वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णित करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति नियमानुसार निविदादाताओं को निगोसियेशन के लिये आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवत्ता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

20. क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. समेकित रूप से कम पाई जाने वाली फर्म की दरों का वरीयता प्रदान की जा सकेगी।

22. यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त कि ऐसे पुनरादेश मूल मात्रा एवं राशि की 50% तक सप्लाई के लिए ही होंगें।

23. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

24. निविदा के साथ निविदादाता द्वारा नियमानुसार बयाना राशि का डी.डी. (निविदा में शामिल मद अनुसार) **जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर** के नाम से देय संलग्न करना होगा।

25. अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रमाण पत्र में त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

26. सभी आईटम्स की दरें उचित मानक इकाई में कोट की जानी चाहिए तथा प्रति पैकेट, प्रति नग प्रति हजार आदि।

27. किसी भी विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

28. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

29. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम में उल्लेखित प्रावधान यथा स्थान लागू रहेंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय
नाम व सील

अध्यक्ष
(स्टेशनरी क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या –5, अजमेर

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु उपाप्त की जाने वाली सामान्य स्टेशनरी का विवरण

क्र. सं.	आईटम / वस्तु का नाम	दर	विशिष्टियां / टिप्पणी / स्पेसिफिकेशन	नमूना अनिवार्य हाँ / नहीं
1.	फोटो स्टेट पेपर रिम 500 पेपर(FS-70 GSM) (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	हाँ
2.	फोंटो स्टेट पेपर रिम 500 पेपर (A4-70 GSM) (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	हाँ
3.	व्हाईट पेपर 17x27, 60 GSM 8.5 KG		उच्च क्वालिटी	हाँ
4.	लेजर पेपर रिम **F/S 70 GSM 500 paper** (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	हाँ
5.	डाक पैड (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
6.	फाईल पैड (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
7.	पोकर (स्टील हैण्डल) (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
8.	पोकर (लकड़ी हैण्डल) (ice Brekar) (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
9.	पैन हाईलाईटर (4 कलर में)(प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
10.	स्टेपलर HP-45		उच्च क्वालिटी	नहीं
11.	स्टेपलर HP-10 (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
12.	स्टेपलर (बड़ी) No-24/6(प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
13.	स्टेपलर पिन (HP-45) (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
14.	स्टेपलर पिन (छोटी) No-10(प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
15.	स्टेपलर पिन (बडी) No-24/6 (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
16.	स्टाम्प पैड इंक नीला (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
17.	स्टाम्प पैड इंक लाल(प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
18.	स्टाम्प पैड बड़ा नीला (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
19.	स्टाम्प पैड बड़ा लाल(प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
20.	स्टाम्प पैड छोटा नीला (प्लास्टिक) (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
21.	स्टाम्प पैड छोटा लाल (प्लास्टिक) (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
22.	डम्पर(प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
23.	कैल्कुलेटर (12 डिजिट) ओरिजनल(प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
24.	पेपर कटर Handy Small (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
25.	पंचिंग मशीन छोटी DP-280 (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
26.	पंचिंग मशीन बड़ी DP-500 (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
27.	पोकर प्लास्टिक हैण्डल (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं

28.	पेंन्सिल (प्रतिपैकेट)**(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
29.	पेंन्सिल–शॉर्पनर **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
30.	रबड़ **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
31.	सी.डी. मार्कर पैन **(प्रति पैकेट)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
32.	परमानेन्ट मार्कर पैन **(प्रति पैकेट)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
33.	सेलो टेप बड़ा 60 मीटर x ½ इंच (पारदर्शी) **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
34.	सेलो टेप बड़ा 60 मीटर x 1 इंच (पारदर्शी) **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
35.	सेलो टेप बड़ा 60 मीटर x 2 इंच (पारदर्शी)**(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
36.	भूरा टेप बड़ा 60 मीटर x 2 इंच**(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
37.	धागा गिट्टा 100 ग्राम 66 नम्बर **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
38.	पिन कुशन मैग्नेटिक **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
39.	प्लास्टिक फोल्डर F/S Size (Strip) **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
40.	प्लास्टिक फोल्डर A-4 Size (Strip) **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
41.	प्लास्टिक फोल्डर F/S Size (L Shape opaque body) **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
42.	प्लास्टिक फोल्डर A-4 Size (L Shape opaque body) **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
43.	प्लास्टिक फोल्डर Envelop with button F/S Size**(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
44.	प्लास्टिक फोल्डर Envelop with button A-4 Size**(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
45.	व्हाईट फ्लूड पेन**(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
46.	पेपर वेट **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
47.	फाईल कवर F/S Size **(Per Thousand)**		उच्च क्वालिटी	हाँ
48.	फाईल लैस 9/24 नं. ग्रीन **(प्रति पेकेट)**		उच्च क्वालिटी	हाँ
49.	टेग 8 इंच में व्हाईट/लाल **(प्रति पेकेट)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
50.	ऑल पिन 100 ग्राम **(T- Shape)** (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
51.	पेपर फ्लैग 3 कलर **(yellow, orange, pink)** **(25x75 mm)** (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
52.	पेपर फ्लैग नोटपैड **(76mmx76mmx100sheet) 3"x3"** (प्रति नग)		उच्च क्वालिटी	नहीं
53.	गोंद बोतल (700 एम.एल.)**(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
54.	ग्लूस्टीक 15 ग्राम**(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
55.	भूरे लिफाफे 6x4 inch**(प्रति हजार)**		उच्च क्वालिटी	हाँ
56.	भूरे लिफाफे 9x4 inch **(प्रति हजार)**		उच्च क्वालिटी	हाँ
57.	भूरे लिफाफे 11x4 inch **(प्रति हजार)**		उच्च क्वालिटी	हाँ
58.	सफेद लिफाफे 6x4 inch**(प्रति हजार)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
59.	सफेद लिफाफे 9x4 inch **(प्रति हजार)**		उच्च क्वालिटी	नहीं

60.	सफेद लिफाफे 11x4 inch **(प्रति हजार)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
61.	लिफाफा 10x12 inch **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
62.	लिफाफा लेमिनेटेड 18x14 inch **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं
63.	लिफाफा लेमिनेटेड 16x12 inch **(प्रति नग)**		उच्च क्वालिटी	नहीं

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय
नाम व सील

अध्यक्ष
(स्टेशनरी क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या –5, अजमेर

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना में बोलीदाता द्वारा घोषणा

(Declaration by Bidder in Compliance of section 7 of Act)

:: **बोलीदाता द्वारा घोषणा** ::

आपके द्वारा .... उपापन के लिये जारी की गई बोली आमन्त्रण सूचना क्रमांक .... के परिप्रेक्ष्य में हमारी जमा की गई बोली के क्रम में मैं/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुरूप घोषणा करते हैं कि :-

1) मैं/हम, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्त्रोत रखता हूँ तथा साथ ही आवश्यक अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ/करते हैं।

2) मैं/हम, ऐसे करों को जो कि बोली दस्तावेजों के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, को संदत्र करने की बाध्यता को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

3) मैं/हम, यह घोषणा करते हैं कि मैं/हम दिवालिया रिसिवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हूँ/हैं, या परिसनापन नहीं कर रहा हूँ/होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्याकलाप रखूगाँ/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलर्बित रखूगाँ/रखेंगे, और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यशक्तियों के अध्यधीन होऊँगा/होंगे।

4) मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि अपने आचारण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्त्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यवहार संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं,

5) मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि बोली दस्तावेज के अनुसार, हमारे कोई हित के विरोध की स्थिति नहीं है, जो कि उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करें।

दिनांक :-

स्थान :-

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

एस.आर.प्रारूप–17
नियम 68

:: करार पत्र ::

यह करार पत्र आज दिनांक .... माह .... सन् .... को एक पक्ष के .... (जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, इसका उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा।) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

2. चूंकि अनुमोदित सप्लायर राजस्थान राज्य के .... को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इसके संलग्न की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम .... में दी गयी दरों पर सप्लाई करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

3. एवं चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है :

अ) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... द्वारा

ब) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बुक के रूप में,

स) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्ही अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्ट्रूमेन्ट्स के रूप में, यदि इन्हें सम्बन्धित नियमों के अधीन (प्रमाणपत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया है।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है –

अ) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर .... के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर .... में तथा निविदा एवं संविदा कीर शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लाई करेगा।

ब) निविदा सूचना संख्या दिनांक .... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगी।

स) निविदादाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें .... तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्यायें .... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

द) (i) सरकार एतद्द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं की उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाई करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार .... के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।

(ii) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी :–

1...................... 2............................ 3............................

क) माल की सुपुर्दगी सप्लाई हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी :

क्रम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

ख) (1) (i) यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो सप्लाई न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी :–

(a) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए **2.5%**

(b) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए **5 %**

(c) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए **7.5%**

(d) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए **10 %**

टिप्पणी : (i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(iii) यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह सप्लाई आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियन्त्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।

ग) करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा सरकार का निर्णय अंतिम होगा। इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक .... माह .... सन् .... को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर

दिनांक :–

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 02

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक :–

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 02